

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED
IN
PURSUANCE OF SECTION 4(1) (b)
OF
THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005.

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED IN PURSUANCE OF SECTION 4 (1)(b) OF
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

TABLE OF CONTENTS

S.No.	SUB-CLAUSE OF SECTION 4(1)(b), RTI Act	DESCRIPTION	PAGE No.
1.	(i)	Particulars of Organization, Functions and Duties of the Deapartment.	5
2.	(ii)	Powers and Duties of officers and employees of the Department	6-9
3.	(iii)	Procedure followed in the decision-making process, including channels of supervision and accountability.	10-11
4.	(iv)	Norms set by the Department for the discharge of its functions.	12-15
5.	(v)	Act, Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control, or used by its employees, for discharging its functions.	16-17
6.	(vi)	Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.	
7.	(vii)	Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation there of	20-23
8.	(viii)	Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	20-23

9.	(ix)	Directory of officers and employees of the Department.	24-26
10.	(x)	Monthly Remuneration received by each of Department's officers and employees, (for paid month October, 2005 ; Salary month Sept.,2005) including the system of compensation as provided in its regulations.	27-28
11.	(xi)	Budget allocated to each of the Department's agencies, including the particulars of all plants, proposed expenditures and reports on disbursements made.	29-31
12.	(xii)	Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	32-34
13.	(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.	35-37
14.	(xiv)	Details in respect of the information available to or held by the Department reduced in an electronic form	38-39
15.	(xv)	Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	40-41
16.	(xvi)	Names, designations and other particulars of the public information officers.	42-43

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT

UNDER SUB-CLAUSE (i)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PARTICULARS OF ORGANISATION, FUNCTIONS AND DUTIES
OF THE DEPARTMENT**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (i)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Particulars of Organization, Functions and Duties of the
Department
Organization**

Kanpur is an important industrial city not only of state but also of country. The city area of Kanpur is approximately spread in 300 sq. Kilometers. As the industries in Kanpur grew faster the village population also attract towards the city. In present time the population of kanpur city has crossed 30 lac. Noticing the rate of growth in population it has been decided that the development authorities should be constituted. According U.P. Urban Development Act 1973 Kanpur Development Authority has been constituted. The Body of K.D.A. is as under-

Commissioner	Chairman
Vice Chairman	Member
Secretary Finance	Member
Secretary Housing	Member(Nominated by Government)
D.M. Kanpur Nagar	Member
D.M. Kanpur Dehat	Member
M.N.A. Kanpur	Member
C.T.C.P.	Member
M.D. UP Jal Nigam	Member
Director Sarvajanik Udyan Beareau	Member

In exercise of the powers vested in the in the Kanpur Development Authority under section 51(2) of the U.P.Urban Planning & Development Act, 1973, the Authority hereby delegate the powers, duties or functions under different sections of the aforesaid act, mentioned in column No.2 & described briefly in column No. 3 of the schedule given below, to the officers mentioned in column No. 5 and to the extent mentioned in column No 4 against each of such section of the subject to the condition that :

- (1) Any order passed by any such officer as aforesaid may, at any time, whether on representation or otherwise, be revoked cancelled modified or amended by the Authority.
- (2) The exercise, performance or discharge of such of the powers, functions & duties as are being delegated will be exercised performance discharged in excellence with the various resolutions adopted and the policy laid down by the Authority.

- (3) The Vice-Chairman of the Authority shall have the powers over all supervision, superintendence and control of all the activities of the Authority: its staff fund and expenditure.

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (ii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES
OF THE DEPARTMENT

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (ii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Delegation of powers, duties and functions as approved by the Kanpur Development Authority vide its rose No. 9/9, dated 31-10-1977.

SCHEDULE

No of the officer	Section of the U.P.Urban Planning & development Act	Brief description of powers, duty of function delegated	Extend of delegation to	Designation
2	3	4	5	
5 (2)	Chairman	Appointment to posts	All powers & functions	Vice
7	Chairman	(a) To hold and manage the property.	All powers & Function	Vice
	Chairman	(b) To dispose of land and other property (Except in cases not related to the norms activities of the Authority.)	All powers & Function	Vice
	Chairman	(C) In carry out building, Engineering, Mining & other operation to executive work in connection with the supply of water, electricity to dispose of sewage and to provide and main-	All powers & Function	Vice

8 Chairman	tain other service amenities. To initiate action for	All powers &	Vice
9 Chairman	civic survey and Master plan for the development areas. To proceed with the	Function to the stage of finalisation. All powers &	Vice
13(1) Chairman	preparation of zonal development plan. To initiate action for	Function to the stage of finalisation. All powers &	Vice
18 Chairman	amendment in Master plan, not affecting the land uses or the standards of population density. (a) Disposal of land	Function to the stage of finalisation. All powers &	Vice
Chairman	Functions. (b) Creating of mortgago	All powers &	Vice
20(1) Chairman	of charge in favour of life insurance corpn. Maintenance of fund	Functions. All powers &	Vice
20(2)	of the Authority. Application of fund to most the expenses of the Authority for which the provision exists in the budget for the wear in which the expenditure is actually incurred.	Functions. 1.To cause detailed estimates to be prepared, sanction of estimated, tenders, execution of contract and sanction of expenditure in each case :-	
	(a) Above Rs. 25,000/-		Vice-Chairman
	in respect of all the department of the Authority.		
	(b) Upto Rs. 25,000/-		Secretary
	in respect of all the department of the Authority.		
	(c) Upto Rs. 10,000/-		Chief
	Engineer		
	in respect of Engineering works.		

		(d) Upto Rs. 5,000/- Engineer in respect of Engineering works in their respective charge. 2. To sanction purchase expenditure and payment of fees to the advocate, oath and court commissioner public notary and other litig- ation expenses in respect of law deptt. In each case upto Rs. 1,000/-. 3. To incur and sanction contingent expenses and to sanction payments out of imprest placed at the disposal of the deptt, concerned in such case upto Rs. 25/-.	Executive
		pm. (b) Upto Rs. 100/-	All officers holding the post carrying an initial salary of not less than Rs. 500/-
		(c) Upto Rs. 250/- 4. To pass orders	1- Jt. Secy. 2- Dy. Director (property) Secretary Jt. Secy.
33 Chairman	Powers to provide	All Power & Function	Vice
	But development at the cost of owners and levy cases..		
34 Chairman	Power to require the	All Power & Function	Vice
	local Authority to resume responsibility in certain cases.		
40 Chairman	Power to certify the	All Power & Function	Vice
	money due and to enforce its recovery.		

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (iii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION-MAKING
PROCESS, INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION AND
ACCOUNTABILITY.**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (iii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

शासन के पत्र संख्या: 7291/9-आ-5-92-418ई/92 दिनांक 24.11.92 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 56 उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन, विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा विनियमावली का प्रारूप प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने हेतु प्राप्त हुआ था।

प्राधिकरण के प्रस्ताव संख्या: 66/3 द्वारा उक्त विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा विनियमावली अंगीकृत की जा चुकी है तथा शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु शासन का अनुमोदन प्राप्त न हो सकने के कारण उक्त अकेन्द्रीयित सेवा विनियमावली प्रवृत्त नहीं हो सकी है।

सेवा विनियमावली प्रवृत्त न हो सकने के कारण पिछले एक वर्ष से अकेन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों पर प्रोन्नतियों नहीं की जा सकी हैं। सेवा विनियमावली अंगीकृत किये जाने के पूर्व उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 खण्ड (सी) सपठित उपधारा (3) के अधीन महापालिका सेवा आज़ा 1963 प्रवृत्त थी एवं अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति आदि इसी के अधीन की जा रही थी।

अतएव विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा विनियमावली पर शासन का अनुमोदन प्राप्त होने तक उक्त महापालिका सेवा आज्ञा 1963 प्रवृत्त किये जाने की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव संख्या 73/3

यह निर्णय लिया गया कि शासन से प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली अनुमोदित होने तक पूर्व प्रवृत्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा आज्ञा 1963 यथवत् प्रभावी रहेगी।

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (iv)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**NORMS SET BY THE DEPARTMENT FOR THE DISCHARGE OF
ITS FUNCTIONS**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (iv)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Norms set by the Department for the discharge of its
functions**

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

सिटीजन चार्टर प्रणाली

कानपुर विकास प्राधिकरण शहर का सुनियोजित विकास करने के साथ ही नागरिकों को सम्पत्ति उपलब्ध करने के लिये सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ त्वरित एवं संकल्पपूर्ण सेवा के लिए वचनबद्ध है।

- ❖ उचित मूल्य पर उच्च कोटि का विकास एवं निर्माण कार्य
- ❖ सभी लेन-देन में पारदर्शिता, समयबद्धता
- ❖ सभी सेवाओं/शिकायती-पत्रों का समयबद्ध समाधान
- ❖ विभिन्न संचालित कार्यों के समयबद्ध निस्तारण के सबंध में सूचना सामग्री स्वागत कक्ष में उपलब्ध कराना
- ❖ लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु शिविर आयोजित करना।

कानपुर विजन-2010

हमारा प्रयास-समग्र विकास

- ❖ समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आदर्श कानपुर की रचना के अनुरूप स्थानीय निवासियों व सरकारी संस्थाओं के सहयोग से 10 वर्षों में कार्यों को पूरा करने का संकल्प।
- ❖ कानपुर महानगर के समग्र व सम्मिलित विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों को इस अभियान से पूरी तरह सम्बद्ध किया जाना।
नगरीय अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का सुदृढीकरण।
- ❖ औद्योगिक पुनरुद्धार।
- ❖ यातायात व्यवस्था में सुधार।
- ❖ जल निकास का उचित प्रबन्ध।
- ❖ नगर का सुन्दरीकरण व पर्यावरण सुधार।

शिकायतों का निस्तारण

1. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूतल स्थित कक्ष में प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे से जनता दर्शन में जनता से सीधा सम्पर्क कर शिकायतों/ समस्याओं को सुना जाता है एवं समयबद्ध शिकायत के निवारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आदेश प्रदान किये जाते हैं।
2. भूतल पर स्थित जोनवार काउन्टर पर सम्बन्धित जोन के संयुक्त सचिव-प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11.00 बजे तक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों/ शिकायतों के निस्तारण/ निवारण हेतु पूर्वाह्न 11.00 बजे से 12.00 बजे तक काउन्टर में जनता से सीधे सम्पर्क हेतु उपलब्ध।

प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर उपलब्ध अन्य सुविधायें

1. स्वागत कक्ष में पंजीकरण फार्म / पुस्तिका के विक्रय की व्यवस्था व उपाध्यक्ष / सचिव को सम्बोधित प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने की सुविधा।
2. भूतल पर जोन-1 से 4 तथा विश्व बैंक परियोजना के अलग-अलग काउन्टरों पर भवन / भूखण्ड के आवंटियों से किस्तों / अन्य देयकों को नगद जमा कराये जाने की सुविधा प्रातः 10.00 से 2.00 बजे के मध्य।
3. भूतल पर ही न्यूनतम शुल्क लेकर पत्रावली निरीक्षण की व्यवस्था व अभिलेखों की प्रमाणित नकल का दिया जाना।
4. अवैध निर्माण की शिकायतों को दर्ज कराने की व्यवस्था।
5. प्राधिकरण की प्रचलित तथा प्रस्तावित नवीन योजनाओं की समग्र जानकारी दिये जाने की सुविधा।

नागरिक का दायित्व

1. ऐसे भूखण्ड / भवन क्रय न करने जिनका स्वामित्व स्पष्ट न हो, या अवैध रूप से निर्मित हो।
2. केवल ऐसी योजनाओं में भूखण्ड / भवन क्रय करें जिसका ले-आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो।
3. भवन का निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही करें, और निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही करें।
4. मानचित्र स्वीकृति की वैधता अवधि के अन्दर ही निर्माण कार्य पूर्ण करें।
5. भूमि / भूखण्ड का उपयोग महा योजना में निर्धारित उपयोग के अनुसार ही प्रयोग करें।
6. सार्वजनिक भूमि, सड़क, नाली, पार्क आदि पर अतिक्रमण न करें।
7. निजी भूमि / भूखण्ड पर अवैध निर्माण न करें।
8. निर्माण कार्य सील बन्द होने की स्थिति में आगे निर्माण न करें।
9. विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्ड / भवन की किस्तों का भुगतान समयबद्ध करें।
10. इस चार्ट के सुधार के विषय में आपके सुझाव अपेक्षित हैं।

विभिन्न कार्यों हेतु समय सारिणी

प्रयोजन	वांछित समय	उत्तरदायी अधिकारी
1. आवंटित भूखण्ड / भवन की किस्तों की गणना से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त करना	7 दिन	संयुक्त सचिव
2. पूर्ण भुगतान के लिए	10 दिन	संयुक्त सचिव
3. भूखण्ड / भवन का नामान्तरण कराना	60 दिन	संयुक्त सचिव
4. अनुबन्ध / विक्रय बिल का निष्पादन	15 दिन	संयुक्त सचिव
5. पट्टे की भूमि का कराना	15 दिन	संयुक्त सचिव
6. भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	7 दिन	अधिशायी अभियन्ता
7. भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	15 दिन	अधिशायी अभियन्ता
8. भवन मानचित्र स्वीकृत	30 दिन	सक्षम प्राधिकारी
9. पूर्णता प्रमाण-पत्र	30 दिन	सक्षम प्राधिकारी

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

अपील

1. बगैर तलपट मानचित्र स्वीकृति के कोई भूखण्ड आवासीय / व्यावसायिक / कार्यालय निर्माण के लिए भूमि क्रय न करें।
2. मांगों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें।
3. शहर आपका है, इसे सुन्दर, स्वच्छ व सुसज्जित बनाये रखें।
4. बगैर स्वीकृति के निर्माण करना कानूनी अपराध है।
5. प्राधिकरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु उपाध्यक्ष एवं सचिव से व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (v)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**ACTS, RULES, REGULATIONS, INSTRUCTIONS, MANUALS AND
RECORDS HELD BY THE DEPARTMENT OR UNDER ITS CONTROL
OR USED BY ITS EMPLOYEES FOR DISCHARGING ITS
FUNCTIONS**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (v)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Acts, Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records
held by the Department or under its control or used by its
employees for discharging its functions**

उत्तर प्रदेश सरकार आवास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 3342/37-2-130-डी0ए0-80 लखनऊ,
29 अप्रैल 1983 अधिसूचना उत्तर
प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर
योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 56 की
उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में कानपुर विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार
के पूर्वानुमोदन से, प्राधिकरण के कार्य प्रशासन को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित
विनियमावली बनाते हैं:-

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (vi)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**STATEMENT OF THE CATEGORIES OF DOCUMENTS THAT ARE
HELD BY THE DEPARTMENT OR UNDER ITS CONTROL**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT**

UNDER SUB-CLAUSE (vi)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Statement of the categories of documents that are held by
the**

Department or under its control

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (vii)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PARTICULARS OF ANY ARRANGEMENT THAT EXISTS FOR
CONSULTATION WITH, OR REPRESENTATION BY, THE
MEMBERS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE
FORMULATION OF DEPARTMENT'S POLICY OR
IMPLEMENTATION THEREOF**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (vii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (viii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

STATEMENT OF BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES OR OTHER BODIES CONSISTING OF TWO OR MORE PERSONS CONSTITUTED AS A PART OF THE DEPARTMENT OR FOR THE PURPOSE OF ITS ADVICE, AND AS TO WHETHER MEETINGS OF THOSE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES ARE OPEN TO THE PUBLIC, OR THE MINUTES OF SUCH MEETINGS ARE ACCESSIBLE FOR PUBLIC

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (viii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Statement of Boards, Councils, Committees or other Bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those Boards, Councils, Committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

कानपुर विकास प्राधिकरण (बैठक बुलाना और कार्य संचालन) विनियमावली, 1983

1- (1) यह विनियमावली कानपुर

विकास प्राधिकरण

(बैठक बुलाना और कार्य संचालन)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

विनियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह राज्य सरकार के अनुमोदन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-कानपुर विकास प्राधिकरण (जिसे आगे इस विनियमावली में "प्राधिकरण " कहा गया) का बैठक बुलाने और दिनांक सचिव अध्यक्ष की अनुज्ञा से और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के अनुज्ञा से ऐसे समय और स्थान नियत करने दिनांक, समय और स्थान पर बैठक बुलायेगा, जैसा, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्ति द्वारा नियत किया जाय।

बैठक बुलाने और दिनांक समय व स्थान नियत करने की शक्ति

3- कार्य संचालन के लिये प्राधिकरण की बैठक साधारणतया प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी।
साधारण बैठक

4-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब भी उचित समझे, असाधारण बैठक बुला सकते हैं। और कम से कम असाधारण बैठक चार सदस्यों के लिखित अनुरोध पर वह असाधारण बैठक बुलायेंगे।
असाधारण बैठक

5- सचिव प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची (एजेण्डा) सहित बैठक की सूचना भेजेगा। साधारण बैठक की स्थिति में सूचना बैठक के दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व और असाधारण बैठक की स्थिति में, बैठक के कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व भेजी जायगी। बैठक की सूचना

6- किसी बैठक में कोई कार्य संचालन नहीं किया जायेगा जब तक की बैठक के प्रारम्भ से अन्त तक कम से कम चार सदस्य न हों।

बैठक की गणपूर्ति

7- अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

वह व्यक्ति जो बैठक की अध्यक्षता करेगा।

8-सभी विषयों पर बैठक में उपस्थित और मद देने वाले सदस्यों की बहुमत से विनिश्चय किया जायगा। बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को बराबर-बराबर पदों क समस्त मामलों में दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

विनिश्चय करने की रीति

9-प्राधिकरण का सचिव बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का नाम एक रजिटर में लिखेगा और उसमें बैठक की कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा। जिसे बैठक के अन्त में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा। यह कार्यालय समय में किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये सुलभ होगा।

कार्यवृत्त को अभिलिखित करना

10- कार्यवृत्त की पुष्टि अगली बैठक में की जायगी।

कार्यवृत्त की पुष्टि

11- बैठक के कार्य संचालन से या उसके संबंध में होने वाले किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्यक्ष द्वारा लिया गया

विनिश्चय

12- किसी विशेषज्ञ या उपयोगी समझे जाने वाले व्यक्ति की, यथस्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से, विशेष आमंत्रण पर प्राधिकरण की बैठक में बुलाया जा सकता है। और वह बैठक में उपस्थित होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

सदस्य से भिन्न व्यक्ति बैठक में उपस्थित हो सकता है।

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT

UNDER SUB-CLAUSE (ix)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**DIRECTORY OF OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE
DEPARTMENT**

PUBLISHED IN OCTOBER , 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (ix)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Directory of Officers and Employees of the
Department**

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
टेलीफोन नम्बरों की सूची

फैक्स नं०-2526611

पी०बी०एक्स० नं०-2557853

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री राम स्वरूप	उपाध्यक्ष	9956291450
2	श्री एम०के० सोलंकी	पीए-उपाध्यक्ष	9956291456
3	श्री ओ०एन सिंह	सचिव	9793625000
4	श्री चन्द्र देव प्रसाद	पीए-सचिव	9956291454
5	श्री अबरार अहमद	विशेष कार्याधिकारी	9335572200
6	श्री धर्म पाल	वित्त नियंत्रक	9956291451
7	श्री एस०पी०एस० राघव	मुख्य अभियन्ता	9956291455-9984063050
8	श्री जी०एस० गोयल	मुख्य नगर नियोजक	9918001460
9	श्री राम नारायण	संयुक्त सचिव	9305835787
10	श्री राकेश कुमार	विशेष कार्याधिकारी	9305835789-9415692356
11	श्री आर०एन० बाजपेयी	विशेष कार्याधिकारी	9305835790-9450936946
12	श्रीमती रेनू पाठक	विशेष कार्याधिकारी	9305835791
13	श्री पी०के० सोलंकी	नगर नियोजक	9305835794-9839119725
13	श्री आशीष शिवपुरी	सहायक नगर नियोजक	9305835795-9415040113
14	श्री मनोज कुमार नागिया	सहायक नगर नियोजक	9305835796
15	श्री डी०सी० यादव	अधिकाारी अभियन्ता	9305835797
16	श्री ओम चन्द्र	अधिकाारी अभियन्ता	9305835798-9415278742

17	श्री योगेश पाठक	अधिशषी अभियन्ता	9305835799
18	श्री मोहन लाल	अधिशषी अभियन्ता	9305835800
19	श्री बी0पी0 मिश्रा	अधिशषी अभियन्ता	930583583299415102134
20	श्री नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	उप सचिव	9335835801
21	श्री डी0पी0 सिंह	उप सचिव	933583580299415391350
22	श्री कमलेश कुमार	उप सचिव	9956291457
23	श्री डी0डी0 वर्मा	तहसीलदार	930583580699838570333
24	श्री लाला राम	तहसीलदार	9305835807
25	श्री डी0पी0 सिंह	तहसीलदार	930583580899935935766
26	श्री आर0बी0 भारती	अधि0 अभियन्ता 1	9415217052
27	श्री सी0पी0 त्रिपाठी	संयुक्त सचिव प्रवर्तन-1	9450935060
28	श्री राकेश कुमार यादव	सहायक नगर अधिकारी	9305835805

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT

UNDER SUB-CLAUSE (x)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**MONTHLY REMUNERATION RECEIVED BY EACH OF
DEPARTMENT'S OFFICERS AND EMPLOYEES,
(FOR PAID MONTH OCTOBER, 2005 ; SALARY MONTH,
SEPT.,2005) INCLUDING THE SYSTEM OF COMPENSATION AS
PROVIDED IN ITS REGULATIONS.**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (x)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Monthly remuneration received by each of Department's Officers and Employees, (for paid month October, 2005 ; salary month, sept.,2005) including the system of compensation as provided in its regulations.

As per Statement enclosed at Annexure IV

http://www.kdaindia.co.in/salary_statement.htm

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xi)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**BUDGET ALLOCATED TO EACH OF THE DEPARTMENT'S
AGENCIES, INDICATING THE PARTICULARS OF ALL PLANS,
PROPOSED EXPENDITURES AND REPORTS ON
DISBURSEMENTS MADE**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT

UNDER SUB-CLAUSE (xi)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**BUDGET ALLOCATED TO EACH OF THE DEPARTMENT'S
AGENCIES, INDICATING THE PARTICULARS OF ALL PLANS,
PROPOSED EXPENDITURES AND REPORTS ON
DISBURSEMENTS MADE**

As per Statement enclosed at Annexure V

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अभियंत्रण खण्ड द्वारा प्रस्तावित विकास एवं निर्माण
कार्य एक दृष्टि में

(रु० लाख में)

विवरण	जोन-1	जोन-2	जोन-3ए	जोन-3बी	जोन-4	विद्युत यांत्रिक एवं नलकूप	योग
विकास कार्य	1488.00	3445.00	2570.00	752.00	2283.00	2490.00	13028.00
निर्माण कार्य	2050.00	83.00	78.00	0.00	70.00	—	2281.00
डिपॉजिट कार्य बी०एस०यू०पी०	771.00	450.00	1797.00	5594.00	600.00	0.00	9212.00
डिपॉजिट कार्य	2.00		2.00				4.00
योग	4311.00	3978.00	4447.00	6346.00	2953.00	2490.00	24525.00

उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य एक दृष्टि में

1. उद्यानिक विकास एवं सौन्दर्यीकरण रु० 75.00 लाख
2. ग्रीन बेल्ट एवं नये उद्यानों का विकास रु० 205.00 लाख
3. पार्को का रखरखाव एवं वृक्षारोपण रु० 303.00 लाख

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES,
INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF
BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES,
INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF
BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES**

आय-व्ययक एक दृष्टि में
वित्तीय वर्ष 2008-09

(रु० लाख में)

मद	वास्तविक 06-07	बजट अनुमान 07-08	वास्तविक 07-08	प्रस्तावित बजट अनुमान 2008-09
क. प्रारम्भिक अवशेष	7244.16	10000.00	10009.49	30171.24
ख. प्राप्तियां				
1. राजस्व प्राप्तियां	4179.67	5870.00	8119.53	5881.00
2. पूँजीगत प्राप्तियां	8880.52	14238.00	22157.97	22108.00
3. ऋण / अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	13060.19	20108.00	30277.50	27989.00
योग (क+ख)	20304.35	30108.00	40286.99	58160.24
ग. व्यय :				
1. राजस्व प्राप्तियां	4099.40	4557.00	5845.59	5467.00
2. पूँजीगत प्राप्तियां	4588.35	12075.00	2231.42	31950.00

3. ःरुण /अग्रल	1607.11	3400.00	2038.74	10500.00
कुल वुड (ग)	10294.86	20032.00	10115.75	47917.00
घ. अन्तल अवशेष	10009.49	10076.00	30171.24	10243.24
डुग (ग+घ)	20304.35	30108.00	40286.99	58160.24

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xiii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PARTICULARS OF RECIPIENTS OF CONCESSIONS,
PERMITS OR AUTHORISATIONS GRANTED BY THE
DEPARTMENT**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xiii)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PARTICULARS OF RECIPIENTS OF CONCESSIONS,
PERMITS OR AUTHORISATIONS GRANTED BY
THE DEPARTMENT**

प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 3840/11-5-86-18 मिस/78 दिनांक 4.6.86 में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/ भूखण्डों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षित वर्गों के लिए उनक सम्मुख अंकित प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

क्र०स०	वर्ग	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	2
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4	विधायक,सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं	5
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण,जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2
7	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	1

- 2 उक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनो/भूखण्डों की विहित दरो में किसी प्रकार की कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- 3 जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है इनकी सूची उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियो,अनुसूचित जनजातियो और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 4 इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना है। कि यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, उनके लिये आरक्षित भवन भवनो /भूखण्डों की संख्या से कम होती हैं तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
- 5 उक्त आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होंगे।

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xiv)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**DETAILS IN RESPECT OF THE INFORMATION, AVAILABLE TO
OR HELD BY THE DEPARTMENT, REDUCED IN AN
ELECTRONIC FORM**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xiv)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**Details in respect of the information, available to or held by
the**

Department, reduced in an electronic form

नागरिकों को सभी सूचनायें प्राप्त कराये जाने के लिये बेवसाइड पर लाटरी परिणाम नीलामी एवं रजिस्ट्रेशन हेतु बुक लेट आवंटन के बाद भी सभी कार्यवाही /सूचनाये उपलब्ध है । विज्ञप्ति योजना के भवन/भूखण्डों का लोकेशन प्लान भी साफ्ट वेयर के माध्यम से गूगल अर्थलिंग कराकर देखने की सुविधा दी गयी है।

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xv)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

**PARTICULARS OF FACILITIES AVAILABLE TO CITIZENS FOR
OBTAINING INFORMATION, INCLUDING THE WORKING HOURS
OF A LIBRARY OR READING ROOM, IF MAINTAINED FOR
PUBLIC USE**

PUBLISHED IN OCTOBER, 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xv)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use

नागरिकों को सभी सूचनायें प्राप्त कराये जाने के लिये बेवसाइड पर लाटरी परिणाम नीलामी एवं रजिस्ट्रेशन हेतु बुक लेट आवंटन के बाद भी सभी कार्यवाही /सूचनाये उपलब्ध है । विज्ञप्ति योजना के भवन/भूखण्डों का लोकेशन प्लान भी साफ्ट वेयर के माध्यम से गूगल अर्थलिक कराकर देखने की सुविधा दी गयी है।

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xvi)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

NAMES, DESIGNATIONS AND OTHER PARTICULARS OF THE
PUBLIC INFORMATION OFFICERS

PUBLISHED IN OCTOBER , 2005

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
INFORMATION PUBLISHED BY THE DEPARTMENT
UNDER SUB-CLAUSE (xvi)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT, 2005

Names, designations and other particulars of the Public Information Officers

As per Statement enclosed at Annexure VI

श्री भोला नाथ मिश्र
जन सूचना अधिकारी / संयुक्त सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण